न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 87/23 GCMS NO 2023/182

मांगीलाल पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी ग्राम मेई कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. नृसिह लाल पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी मेई कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. सीताराम पुत्र बजरंगा जाति जाट निवासी मेई कलां तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार खण्डार जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 34/21 निर्णय दिनांक 19.10.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगन्नाथ चौधरी

अभिभाषक रैस्पो0 श्री रविशंकर सैनी

दिनांक 13.02.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 19.10.23 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के हक अधिकारो की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 175 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा, 273/3 रकबा 5 बीघा, 1245/508 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, , 1263/907 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 1264/907 रकबा 1 बीघा , 841 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा , 1045/116 रकबा 2 विस्वा ग्राम मेई कलां मे स्थित है। अप्रार्थी मांगीलाल अपने मामा दोला पुत्र गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर लाऔलाद होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम मेई से ग्राम भूलनपुर मे मामा दोला जाट के जाति रिवाज रश्म अनुसार गोद चला गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के दत्तक पिता दोला ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अप्रार्थी मांगीलाल उर्फ मांग्या गोद गया तब से ग्राम भूलनपुर मे निवास कर मामा दोला के जीवनकाल तक दोला की सेवा देखभाल श्रद्वापूर्वक करता रहा तथा दोला की मृत्यु पश्चात अप्रार्थी संख्या 1 मांग्या ने गोद पुत्र होने के कारण अपने दत्तक पिता दोला जाट का दाहसंस्कार किया कर्म संस्कार आदि किया तथा मृतक दोला की पगडी दत्तक पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या के बंधी है तथा मृतक दोला [illegible] जायदाद आदि मे अप्रार्थी मांग्या दोला का दत्तक पुत्र होने के [illegible] आदि प्रार्थी मांग्या पि.मु. (दत्तक पुत्र) दोला जाट दर्ज /इन्द्राज [illegible] मेई कलां से ग्राम भूलनपुर अपने मामा दोला के गोद चले जाने के कारण अप्रार्थी मांगीलाल उर्फ [illegible]का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

बजरंगा पुत्र गोविन्दा जाट निवासी मेई कलां ने अपनी मृत्यु पश्चात छोडी गई कृषि भूमि एवं समस्त चल/अचल सम्पति मे अप्रार्थी संख्या 1 मांगीलाल उर्फ मांग्या का कानूनन किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है व बजरंगा की समस्त चल/अचल सम्पति एक मात्र प्रार्थीगण के हक अधिकारो खातेदारी कब्जे काश्त की है। उक्त भूमि से अप्रार्थी संख्या 1 का कोई किसी प्रकार का संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 का नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मे होने के कारण अप्रार्थी न0 1 के मन मे बदनियती आ जाने से उक्त आराजीयात को अप्रार्थी न0 1 नाजायज रूप से गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त भूमि को प्रार्थीगण से छीनने की गरज से अप्रार्थीगण ने दिनांक 8.7.21 को प्रार्थीगण को धमकी देकर भूमि से कब्जा हटाने की कही तथा कब्जा नही हटाने पर उक्त भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी गई। जिसका उसको कोई विधिक अधिकार नही है तथा प्रार्थीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजीयात के प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे एवं उक्त भूमि को किसी दीगर व्यक्ति को किसी प्रकार से रहन बेचान नही करे तथा घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 अपने मामा दोला पुत्र गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर के गोद चले जाने के कारण उक्त आराजीयात एक मात्र प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे एक मात्र प्रार्थीगण का नाम इन्द्राज करावे। प्रार्थीगण को उक्त आराजीयात से बेदखल नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/रेस्पो0 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं रूयेदाद मिसल होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे बिना अवलोकन किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। रेस्पो/प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह तथ्य अंकित किया कि अपीलांट दोला पुत्र गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर के गोद चला गया जबकि रेस्पो0 द्वारा पत्रावली मे गोद पत्र के संबंध मे कोई दस्तावेज पेश नही किया ना ही गोदनामा की कोई तहरीर पेश की तथा ना ही उन बुजुर्ग व्यक्तियो के शपथ पत्र पेश किये। जिससे यह साबित कर पाते कि अपीलांट को दोला ने गोद लिया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानूनी भूल की है। [illegible] अपीलांट वर्तमान मे उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। [illegible] जब तक अपीलांट खोतदार है तब तक उसको रेस्पो0 संख्या [illegible] 1/3 हिस्से पर पाबंद करने का कानूनी अधिकार नही है। अपीलांट [illegible] पुत्र गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर की सेवा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करता था और उस सेवा से खुश होकर अपीलांट के नाम उसने अपनी चल व अचल सम्पति आराजी एवं मकान की रजिस्ट्री वसीयत कर दी जिसकी प्रमाणित प्रति अपीलांट ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश की थी। इसी रजिस्टर्ड वसीयत पत्र के आधार पर ही अपीलांट चल अचल सम्पति एवं आराजीयात का नामा0 खोला गया और सारी जायदाद अपीलांट की हो गई। इसलिए अपीलांट उक्त दोला पु गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर की समस्त चल व अचल सम्पति के अलावा अपनी पैतृक आराजीयात का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी अदालत मातहत ने प्रार्थीयान रेस्पो0 की दरख्वास्त स्वीकार कर अपीलांट को पाबन्द कर विवादित आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। अपीलांट प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 मे अंकित आराजीयात का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। इसलिए अपीलांट को उसके उक्त हिस्से 1/3 की आराजीयात पर रहन बेचान नही करने से उसके हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी मे बाधा या अवरोध उत्पन्न ना करने के लिए पाबन्द कर कानूनी भूल की है। इसलिए उक्त आदेश खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करने से पूर्व अपने न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल नही कर विवादित आदेश पारित किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.10.23 निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आराजी ख0न0 175 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा, 273/3 रकबा 5 बीघा, 1245/508 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, , 1263/907 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 1264/907 रकबा 1 बीघा , 841 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा , 1045/116 रकबा 2 विस्वा ग्राम मेई कलां मे स्थित है। अपीलांट/अप्रार्थी मांगीलाल अपने मामा दोला पुत्र गोविन्दा जाट निवासी भूलनपुर लाऔलाद होने के कारण अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम मेई से ग्राम भूलनपुर मे मामा दोला जाट के जाति रिवाज रश्म अनुसार गोद चला गया तथा अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 के दत्तक पिता दोला ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अपीलांट/अप्रार्थी मांगीलाल उर्फ मांग्या गोद गया तब से ग्राम भूलनपुर मे निवास कर मामा दोला के जीवनकाल तक दोला की सेवा देखभाल श्रद्वापूर्वक करता रहा तथा दोला की मृत्यु पश्चात अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 मांग्या ने गोद पुत्र होने के कारण अपने दत्तक पिता दोला जाट का दाहसंस्कार किया कर्म संस्कार आदि किया तथा मृतक दोला की पगडी दत्तक पुत्र मांगीलाल उर्फ मांग्या के बंधी है तथा मृतक दोला की जमीन जायदाद आदि मे अप्रार्थी मांग्या दोला का दत्तक पुत्र होने के कारण राजस्व रिकार्ड जमाबंदी आदि अपीलांट मांग्या पि.मु.(दत्तक पुत्र) दोला जाट दर्ज /इन्द्राज हो गया। अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम मेई कलां से ग्राम भूलनपुर अपने मामा दोला के गोद चले जाने के कारण अपीलांट मांगीलाल उर्फ मांग्या का बजरंगा पुत्र गोविन्दा जाट निवासी मेई कलां ने अपनी मृत्यु पश्चात छोडी गई कृषि भूमि एवं समस्त चल /अचल सम्पति मे अपीलांट मांगीलाल उर्फ मांग्या का कानूनन किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार नही है। उक्त चल /अचल सम्पति एक मात्र रेस्पो0 के हक अधिकारो खातेदारी कब्जे काश्त की उक्त भूमि से अपीलांट मांग्या का कोई किसी प्रकार का संबंध वास्ता नही है। उक्त भूमि मे अपीलांट मांग्या का नाम गलत रूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

से राजस्व रिकार्ड मे होने के कारण उसके मन मे बदनियती आ जाने से उक्त आराजीयात को अपीलांट मांग्या नाजायज रूप से गलत इन्द्राज का फायदा उठाकर उक्त भूमि को रेस्पो0 से छीनने की गरज से अपीलांट मांग्या ने दिनांक 8.7.21 को रेस्पो0 को धमकी देकर भूमि से कब्जा हटाने की कही तथा कब्जा नही हटाने पर उक्त भूमि को रहन बेचान करने की धमकी दी गई। अपीलांट मांग्या के अपने मामा दोला जाट निवासी भूलनपुर मे गोद चले जाने एवं दोला जाट की समस्त चल व अचल सम्पति मे अपीलांट के नाम हो जाने से उसके पैतृक सम्पति मे किसी प्रकार के अधिकार नही रहते है। राजस्व रिकार्ड मे गलती से अपीलांट का नाम दर्ज होने के कारण अपीलांट द्वारा उक्त आराजीयात से रेस्पो0 को जबरन बेदखल करने एवं भूमि को खुर्द बुर्द करने की धमकी दिये जाने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। रेस्पो0 के पिता बजरंगा की समस्त चल व अचल सम्पति मे एक मात्र रेस्पो0 का अधिकार है। चूकि: वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे विवादित भूमि अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसका वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। यदि दौराने दावा विवादित आराजीयात का रहन बेचान होता है तो आपस मे वाद वाहुलता को बढावा मिलता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जबाब एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विधि अनुसार अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के अनुरूप है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजी ख0न0 175 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा, 273/3 रकबा 5 बीघा, 1245/508 रकबा 3 बीघा 11 विस्वा, , 1263/907 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा, 1264/907 रकबा 1 बीघा , 841 रकबा 2 बीघा 15 विस्वा , 1045/116 रकबा 2 विस्वा ग्राम मेई कलां मे स्थित है। जो कि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 167 मे अपीलांट एवं रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है। रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के अपने मामा दोला जाट निवासी भूलनपुर मे गोद चले जाने के कारण उसका पैतृक सम्पति से किसी प्रकार का कोई वास्ता संबंध नही होना बताया है। विवादित आराजीयात के हक अधिकारो का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे विवादित आराजीयात के हक तय होगे। चूकि: भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे भूमि संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है जिसके दौराने दावा रहन बेचान होता है तो वाद वाहुलता को बढावा मिलता है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष मे सिद्व नही होने से अपीलांट को किसी प्रकार की अपूर्णनीय क्षति होने की कोई संभावना प्रतीत नही होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विधि पूर्वक अवलोकन किया जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। विधि के अनुरूप होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय खण्ड अधिकारी खण्डार के प्रकरण संख्या 34/21 निर्णय दिनांक 19.10.23 की पुष्टि की ती है।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:36:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner